न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/573

मोहम्मद इब्राहिम आयु 82 वर्ष वल्द हाजी ख्वाजू खॉ निवासी जमला चौक कोटडी कोटा मूल निवासी मण्डाना जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र वेदनाथ सोनी चूडी वाला आयु 60 साल ।
3. पवन कुमार पुत्र बुद्धि प्रकाश सोनी कायम मुकामान बुद्धि प्रकाश सोनी निवासी विधा बेंगल स्टोर फिरोजाबाद चूडी वालों के उपर प्रथम मंजिल इन्द्रा मार्केट थाना मकबरा, कोटा ।
4. इब्राहिम पुत्र ख्वाजू खान आयु 60 साल निवासी पुलिस लाईन हाल निवासी मकान नं0 728 वार्ड नं0 2, हनुवन्त खेडा रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जमील अहमद, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विजय सिंघल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 20.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में दिनांक 30.11.1975 को खसरा नम्बर 1605 की रकबा 10 बीघा भूमि वादी के हक में गैरखातेदारी में आवंटित हुई थी । उक्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 1595 रकबा 1.61 हैक्टर हैं । वर्ष 2000 में प्रतिवादी कम 04 ने वादी का हमनाम बताकर उक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया तथा बाद में उक्त भूमि का बेचान प्रतिवादी कम 2 व 3 के पक्ष में बेचान कर दिया तथा कब्जा संभला दिया । वादी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने ने आपसी साठगांठ करके कब्जा कर लिया तथा मौजूदा हाल में प्रतिवादी

कम 2 व 3 काबिज हैं जिनका कब्जा अनाधिकृत है । वादी द्वारा प्रतिवादी कम 2, 3 व 4 के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही भी की परन्तु उसमें एफ0आर0 लगा दी गई । प्रतिवादी कम 2 व 3 ने फर्जी मोहम्मद इब्राहिम (प्रति0–4) जिसमें अपना पता इन्द्रा मार्केट कोटा बताया हुआ है । उससे फर्जी तौर पर कय बताया । कुछ दस्तावेजों में प्रतिवादी कम –4 ने अपना पता पुलिस लाईन लिखा हुआ है । इस प्रकार प्रतिवादी कम 04 ने फर्जकारी करके वादी के नाम का फायदा उठाकर उक्त भूमि प्रतिवादी कम 2 व 3 को बेचान कर दी जो गलत रूप से काबिज चले आ रहे हैं । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि से प्रतिवादी कम 2 व 3 को बेदखल कर पुनः कब्जा वापस प्राप्त करे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी कम 2, 3 व 4 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 1595 रकबा 1.61 हैक्टर खाता संख्या 786 का कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को दिलवाया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा– 2017 अभियान के अन्तर्गत अटल सेवा केन्द्र मण्डाना में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में बिना प्रार्थी अपीलान्ट को सूचना दिये तथा बिना प्रतिवादीगण को तलब किये एक तरफा निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का राजीनामा भी पेश नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 06.10.2017 को हुई जिस पर अपीलान्ट ने नकल का आवेदन प्रस्तुत किया । जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 10.10.2017 को प्राप्त हुई । नकल प्राप्त होते ही यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.05.2017 तलबी प्रतिवादीगण नियत की गई । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में बिना प्रार्थी का सूचना किये तथा बिना प्रतिवादीगण को तलब किये एक तरफा रूप से राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया । वादग्रस्त आराजी

अपीलान्ट को दिनांक 30.11.1975 को आवंटित की गई थी । अपीलान्ट मूल रूप से मण्डाना का निवासी है । अपीलान्ट के माता–पिता का देहान्त हो जाने के बाद तथा अपीलान्ट के जैसलमें निवास करने के दौरान वर्ष 2000 में रेस्पोडेन्ट क्रम 04 ने अपीलान्ट का हमनाम बताकर उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था । परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का गैर खातेदार है उसके द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये गये हैं । प्रस्तुत वाद में वादी ने वादग्रसत आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2000 में कब्जा किये जाने का कथन किया है परन्तु वादी अपीलान्ट के द्वारा उक्त वाद वर्ष 2016 में पेश किया गया है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । वादी ने वादग्रस्त आराजी को बेचान करने एवं स्वयं के पक्ष में आवंटन होने का कथन भी किया है परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई आवंटन आदेश अथवा विक्रय पत्र सम्बन्धी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । इनका वाद पूर्व में सन् 2011 में अदम हजारी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था । उसी आधार पर ये दूसरा वाद पेश किया है । अतः ये तथ्य छुपाकर आये हैं तथा क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । पूर्व में प्रकरण में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई जिस पर एफ0आर0 लग चुकी है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विलम्ब के बिन्दु पर नरमी रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पर नरमी का रूख अपनाते हुए स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादी अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 10.07.2017 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया था । उक्त वाद में प्रतिवादी क्रम 02 की ओर से उनके विद्वान् अभिभाषक उपस्थित हुए थे । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 16.05.2017 की आदेशिका में उक्त वाद को न्याय आपके द्वार 2017 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत हेतु रेफर कर पक्षकारान को लोक अदालत में उपस्थिति हेतु नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया परन्तु परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना ही दिनांक 18.05.2017 को सीधे राजस्व लोक अदालत में वाद वादी खारिज कर दिया ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष राजीनामा हेतु तैयार हों । हालांकि परीक्षण न्यायालय का निर्णय पत्रावली में प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर ही पारित किया गया है परन्तु यह बिना लोक अदालत की प्रकिया पूर्ण किये लोक अदालत की भावना से किया है । डिक्री में भी लोक अदालत शब्द प्रयोग किया है । "लोक–अदालत" में राजीनामा योग्य प्रकरण रखकर राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को लोक अदालत के नोटिस भी जारी नहीं किये है, तथा न ही प्रभावित पक्षकार लोक–अदालत में उपस्थित हुए। उपर्युक्त स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा